प्रेषक

श्रम आयुक्त हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में,

श्री महेश शर्मा,
श्रम निरीक्षक, सर्कल–1,
फरीदाबाद।

क्रमांक 9920 दिनांक 11-6-2020

विषयः–. अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण ना करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था0/02/2019/6772–80 दिनांक 19.03.2020 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पत्र जारी करते हुए आपको श्रम निरीक्षक सर्कल–2, पलवल का अपने कार्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त कार्यभार देने बारे आदेश जारी किये गये थे परंतु अभी तक आप द्वारा सर्कल–2, पलवल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

इस संबंध में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप दिनांक 12.06.2020 तक श्रम निरीक्षक सर्कल–2, पलवल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

इसके अतिरिक्त आप द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 19.03.2020 की परिपालना ना करने बारे अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिन के अंदर अंदर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अम्ल में ला दी जायेगी।

अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था0/04/2020 9921-22 दिनांक 11-6-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. सहायक श्रम आयुक्त, पलवल के पत्र क्रमांक 462 दिनांक 27.05.2020 के संदर्भ में।
2. सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल–1, फरीदाबाद।

अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़।